

सक्यूलर

अच्छे हस्ताक्षर में सब जानकारी लिखकर हमारे पास भेजिये। या www.taxwomanpune.com इस वेब साईट पर उपलब्ध एक्सेल फॉर्म भर के हमारे ई मेल पर भी भेज सकते हैं। ओरिजिनल कागजात आप के पास सुरक्षित रखते हुये, हमें सिर्फ झेरॉक्स कॉपी या पी.डी.एफ. फाईल भेजें। हम विवरण पत्र फाईल करते समय, हमें उपलब्ध की हुयी जानकारी के मुताबिक कानूनन सही विवरणपत्र फाईल करते हैं। उसके बाद अगर कोई तब्दिली होती है (जैसे की टी.डी.एस. का कम ज्यादा होना) तो उसके लिये वही व्यक्ति बता सकता है, जिसने तब्दिली की है।

१. सी. डी. ए. नंबर (जवानों का आर्मी नंबर)

२. पॅन नंबर (कॉपी चाहिये)

३. रॅक, पूरा नाम

सेक्स: मेल / फिमेल

४. पिताजी का नाम:

५. जन्म तारीख:

६. इन्कम टॅक्स पासवर्ड:

७. आधार कार्ड नं.(कॉपी अनिवार्य है)

८. युनिट का पता (सिर्फ लेटर भेजने के लिये, इन्कम टॅक्स रिटर्न भरने के लिये नहीं):

९. घर का पता: (जिला, राज्य और पिन नंबर शामिल करते हुये। इन्कम टॅक्स रिटर्न इस पते पर भरा जायेगा)

१० बॅन्क अकाउंट नंबर १:

आय. एफ. एस. सी. कोड

बॅन्क अकाउंट नंबर २:

आय. एफ. एस. सी. कोड

बॅन्क अकाउंट नंबर ३:

आय. एफ. एस. सी. कोड

बॅन्क अकाउंट नंबर ४:

आय. एफ. एस. सी. कोड

११. खुद का मोबाईल नंबर:

१२. खुद का ई मेल आय. डी. (अनिवार्य है)

वेतन से प्राप्त आय और एच. आर. ए.

१. वर्ष २०१६-१७ के सभी फॉर्म १६

२. अगर आपको पिछले वर्षों का वेतन या स्टायपेन्ड इस साल में मिला है तो, पिछले वर्षों के फॉर्म १६ या प्रत्यक्ष प्राप्त आय और आर्मी ग्रुप इन्शुरन्स को दी गयी किश्तें: २०१४-१५: २०१५-१६

३. एच. आर. ए. करमुक्त क्लेम करने के लिये: मार्च २०१६ से फरवरी २०१७ तक सारी पे स्लिप, आपने दिये हुये किराये की रसिदें और वर्ष २०१५-१६ का फॉर्म १६ चाहिये.

४. अगर आपको पुराने टॅक्स रिटर्न भरने है तो, इन्कम टॅक्स विभाग से प्राप्त हुयी नोटिस की तारीख चाहिये.

५. जवानोंके रिटर्न के लिये फॉर्म १६, मार्च १६ से फरवरी १७ तक सारी पे स्लिप और बच्चोंके स्कूल फी डिटेल्स चाहिये।

प्रथम घर से मिली आय

१. घर का पूरा पता और पिन कोड नंबर:

२. घर कर्जा वापसी का सर्टिफिकेट: असल: ब्याज:

३. गृहप्रवेश का महिना और वर्ष:

४. गृहप्रवेश १ एप्रिल २०१२ के बाद है तो, गृहप्रवेश के पहले वापस किये हुये गृहकर्ज में ब्याज की रकम

५. मालिकाना हक पर्सन्टेज और अन्य मालिकोंके रिश्तें। अगर आप पूरा कर्ज क्लेम कर रहे हो, तो अन्य मालिकोंकी एन्.ओ.सी. जरूरी है। पूरा ब्योरा दीजिये।

६. वर्ष २०१६-१७ मे कितना किराया मिला:

७. किरायेदार का नाम और पॅन नं:

८. भरा हुआ म्युनिसिपल टॅक्स:

९. सोसायटी मेन्टेनन्स चार्ज:

दूसरे, तिसरे और चौथे घर के लिये इसी प्रकार से जानकारी अलग कागज पर लिखकर दीजिये।

अन्य आय

१. प्राप्त की हुयी पेन्शन (रि-एम्प्लॉयमेन्ट होने से भी देना जरूरी है)

(डिसअॅबिलिटी पेन्शन होने से या गॅलन्ट्री अॅवॉर्ड पेन्शन होने से आप की पेन्शन टॅक्स फ्री है क्या?) है / नहीं

२. बैंक के बचत खाते में मिला ब्याज:

३. एफ. डी. पर मिला ब्याज:

४. पोस्ट ऑफिस स्कीम से मिला ब्याज:

५. म्युच्युअल फंड या शेअर्स पर मिला डिविडेंड:

६. कृषि आय (कृषि के लिये खर्चा घटाके)

शेअर्स या म्युच्युअल फंड बेच कर पूंजी लाभ (ब्योरा १ जुलै २०१७ से पहले चाहिये)

१. ३१.३.२०१५, ३१.३.२०१६ और ३१.३.२०१७ का होल्डिंग स्टेटमेन्ट

२. वर्ष २०१५-१६ और २०१६-१७ में खरीदे / बेचे शेअर्स का पूरा ब्योरा (नाम, तारीख, कितने शेअर्स बेचे / खरीदे, कीमत)

अन्य संपत्ति बेच कर पूंजी लाभ:(ब्योरा १ जुलै २०१७ से पहले चाहिये)

१. १.४.२०१६ और ३१.३.२०१७ दरमियान बेचे प्रॉपर्टी का सेल डीड. प्राप्त रकम:

२. उपरोक्त प्रॉपर्टी जब खरीदी थी, वह पर्चस डीड. (दी गयी रकम और स्टॅम्प ड्यूटी / रजिस्ट्रेशन फी)

३. प्रॉपर्टी खरीद ने से बेचने तक उसमें बदल करने के लिये किया खर्च: (प्रूफ चाहिये)

४. उपरोक्त प्राप्त रकम का विनियोग कैसे किया या कैसे होगा?

फॉर्म १६ में लिखे हुये निवेश के डिटेल्स छोड़ कर, अन्य कर बचत योग्य निवेश

१. इन्शुरन्स की किश्तें / पी.पी.एफ.

खुद के लिये या फॅमिली के लिये मेडिकल इन्शुरन्स;

२. माता पिता के लिये मेडिकल इन्शुरन्स या ८० साल के उपर मात पिता के लिये किया मेडिकल खर्च:

३. पुरानी बीमारी के लिये खर्चा (फॉर्म १० आय पर स्पेशालिस्ट डॉक्टर का सर्टिफिकेट चाहिये)

४. खुद की या करीबी रिश्तेदार की मेडिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट)

५. नॅशनल पेन्शन सिस्टम मे निवेश:

६. आर. जी.ई.एस्.एस. में मिला वर्ष २०१४-१५, २०१५-१६ अन्द २०१६-१७ का डिडक्शन:

७. एज्युकेशन लोन पर दिया हुआ ब्याज:

८. सामाजिक या सांस्कृतिक या धार्मिक संस्था को दिया दान (संस्था का पॅन नं. अनिवार्य है)

९. कोई और जानकारी देनी है तो प्रूफ के साथ दीजिये.

उपर लिखी सारी बातें पूरी और सही है।

पॅन:

हस्ताक्षर:

हमारी प्रोफेशनल फी का ब्योरा (फी अॅडव्हान्स में देना जरूरी है)।

हमारे अकॉंट में कॅश या चेक द्वारा पैसे भरने की इजाजत नहीं है।

फॅमिली, सेवानिवृत्त अफसर, रिएम्प्लॉईड अफसर, पुरानी सॅलरी पर टेक्स रिलिफ गणना, एच्.आर्.ए. पर कर की छूट की गणना के लिये रु. १,००० /- पूंजी लाभ गणना के लिये रु. १००० /- या उससे ज्यादा. १०, ५०, १०० या ३०० से उपर रिटर्न एकट्टा मिलें और उनकी जानकारी एक्सेल शीट में (फोन करने से हम फॉर्मेट देंगे) दी गयी तो हमारी फीस रु. ४००, ३००, २५० या २०० रु. तक कम की जा सकती है। पी.व्ही.सी., एम. व्ही.सी., व्ही.सी., ए.सी, के.सी., एस्.सी., एस्.वाय्.एस्.एम., और यू.वाय्.एस्.एम. प्राप्त अॅवॉर्ड विनर के लिये, सेवानिवृत्त होने तक फी में छूट है। ४ मद्रास (इब्ल्यू. एल. आय.) के सभी जवानोंको, सरदारोंको और अफसरोंको फी मे ५०% छूट है। दिसंबर १९८० या जानेवारी १९८१ में कमीशन प्राप्त सभी अफसरों के लिये ५०% छूट है, बशर्ते की, उनकी फॅमिली का टेक्स का काम हमसे करवायें। हम से अगर म्युच्युयल फंड में निवेश किया, या हम से डी.एच्.एफ्.एल. प्रॅमेरिका इन्श्युरन्स स्कीम मे निवेश किया, यो ५०% फी वापस की जायेगी। सी.टी.सी. २०१० पात्र बॅन्क चेक, मनी ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट से फी का भुगतान कर सकते हैं। करंट अकॉंट नंबर ३४९८३७५४७८५, अकॉंट नाम: टॅक्स अॅण्ड लिगल सोल्यूशन्स, एस्.बी.आय. कर्वेनगर, पुणे - ४११०५२, आय. एफ. एस. सी. कोड: SBIN0013530 एम्.आय्.सी.आर्.कोड: 411002082 इस अकॉंट पर या सेव्हिंग्ज अकॉंट नंबर ६२४००१५५९६९९, अकॉंट नाम: शरदचंद्र शंकरराव पाटील, आय्.आय्.सी.आय.बॅक, भांडारकर रोड, पुणे - ४११००४, आय. एफ. एस. सी. कोड: ICIC0006240 एम्.आय्.सी.आर्.कोड: 411229006 इस अकॉंट पर इंटरनेट से भी फी का भुगतान किया जा सकता है। इंटरनेट पर भुगतान करते समय अपना नाम और पॅन नं. जरूर लिखें।

TAX AND LEGAL SOLUTIONS

Email: anuradha.chavanpatil@gmail.com, scpcs2011@gmail.com

Website: www.taxwomanpune.com,

Ph: 020-25445878, 09822290424 (Office),

09921351984 (Anuradha Chavan Patil), 08805152951 (Col SS Patil)

Office: 'Aarohini', Opp. Deenanath Mangeshkar Hospital,

Erandwane, Pune – 411004